कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव

पत्रांकः– 122/न.पा.प. गंगाघाट/14वाँ वि0–2017–18 दिनांकः– 05.10.2017

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, उन्नाव के जलकल/स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार मशीनरी, सामानों की आपूर्ति/अधिष्ठापन हेतु मोहरबन्द निविदायें, पंजीकृत निर्माता फर्म/निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र/नगर पालिका परिषद, उन्नाव में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार/आयकर विभाग में पंजीकृत फर्मों से ई–निविदा आमंत्रित करती है। बिना निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र के डाली गयी निविदाओं पर विचार किया जाना सम्भव नही है। निविदादाता एक या एक से अधिक कार्यों हेतु निविदा डाल सकता है। कार्य का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन	टेण्डर फार्म की कीमत GST सहित	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
जलापूर्ति व्यवस्था हेतु					
01	सोलर सबमर्सिबल पम्प सेट अधिष्ठान का कार्य– 30 नग	1,68,52,500.00	19887.00 (16853+3034)	337050.00	तीन माह
02	स्टील टैंकर 3000 लीटर क्षमता – 04 नग	13,00,000.00	1534.00 (1300+234)	26000.00	तीन माह
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु					
01	नाला सफाई मशीन (टीएमएक्स 20–2 अथवा किसी स्टैण्डर्ड कम्पनी)– 01 नग	26,00,000.00	3068.00 (2600+468)	52000.00	तीन माह
02	हाथ कूड़ागाड़ी की आपूर्ति का कार्य – 300 नग	21,60,000.00	2549.00 (2160+389)	43200.00	तीन माह
मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु					
01	एलईडी लाइट 90वाट की आपूर्ति – 500 नग	81,30,000.00	9593.00 (8130+1463)	162600.00	तीन माह

मुख्य शर्तें–

1– निविदा प्रपत्र आनलाइन उपलब्ध है जो आनलाइन http://etender.up.nic.in पर ही डाउनलोड व अपलोड किया जायेगा।

(a)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशन की तिथि	09–10–2017
(b)	वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा डाउनलोड की तिथि	10–10–2017 प्रातः 11:00 बजे से
(c)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	26–10–2017 सांय 05:00 बजे तक
(d)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	27–10–2017 प्रातः 11:00 बजे
(e)	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	28–10–2017 प्रातः 11:00 बजे
(f)	ई–निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव

2– विस्तृत विवरण देखने हेतु http://etender.up.nic.in को खोले व निविदा डाउनलोड करें।

3– प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि कॉलम नं0 (6) में दर्शायी गयी है।

4– निविदा के साथ 02 (दो) प्रतिशत धरोहर धनराशि जो कॉलम नं0 (5) में अंकित है एफ0डी0आर0/सी0टी0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/जमा पुष्टि रसीद की स्कैन कॉपी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, उक्त धरोहर धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव के नाम बन्धक होगी।

5– निविदा स्वीकार करने की वैद्यता निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90 दिन) होगी।

6– आपूर्ति/अधिष्ठापन का कार्य किसी भी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, निविदा स्वीकृति के बाद यदि हस्तान्तरित की स्थिति पायी जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

7– प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग टेण्डर फार्म लेना आवश्यक है।

8– निविदा की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

9– अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद उन्नाव द्वारा बिना कोई कारण बताये एवं नोटिस दिये एक या समस्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निहित होगा।

10– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा में सम्मिलित कार्यों की अवधि में तर्क संगत आधार होने पर नियमानुसार वृद्धि की जायेगी। अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

11– कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रु0 500/– प्रतिदिन तक हो सकता है। दो सप्ताह पश्चात् कार्य की निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

12–अधिशासी अधिकारी/प्रशासक को विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार दण्ड आरोपित करने अथवा बिना कोई दण्ड आरोपित किये समय वृद्धि करने का अधिकार होगा।

G 05/10/17

13– ठेकेदार / फर्म को जलकल अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी / प्रशासक के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। आपूर्ति / अधिष्ठापन कार्य का निरीक्षण जलकल अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी / प्रशासक द्वारा किया जा सकेगा। आपूर्ति / अधिष्ठापन का कार्य मानक के अनुसार न करने पर भुगतान किया जाना सम्भव नही है।

14– यह कि न्यूनतम दरदाता की 02 प्रतिशत जमा धरोहर राशि को समायोजित करते हुए 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा की जायेगी। जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव के नाम बन्धक होगी। यदि ठेकेदार / फर्म द्वारा जमानत धनराशि नहीं जमा की जाती है, तो उसके बिल से कटौती कर पूर्ति की जायेगी। उक्त की जमानत राशि की वापसी कार्य सन्तोषजनक स्थिति में बने रहने की स्थिति में एक वर्ष के पश्चात तकनीकी अधिकारी की आख्या पर वापस की जा सकेगी। उक्त अवधि में किसी प्रकार की खराबी आने की दशा में ठेकेदार को अपने व्यय पर ठीक कराना होगा।

15– किसी विवाद की दशा में अधिशासी अधिकारी / प्रशासक नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव का निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्ष को मान्य होगा तथा आपूर्ति आदेश / कार्यादेश जारी करने के पश्चात् कार्य न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 14वां वित्त आयोग में उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय के नियमित वेतन, अधिष्ठान मद आदि के पूर्ण व्यय के बाद अवशेष धनराशि से अनुपातिक रूप से किया जायेगा।

16– ठेकेदार के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी जो ठेकेदार को मान्य होगा।

17– स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम दर पर कार्य / आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाली गई है। ऐसी निविदा मान्य नहीं होगी।

18– शासनादेश संख्या 609 / नौ–9–2007–249ज / 06 दिनांक 26–02–2007 के अनुसार राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।

19– स्वीकृत निविदा से 10 प्रतिशत तक ही विचलन स्वीकार किया जा सकेगा तथा उससे अधिक विचलन होने पर उतने प्रतिशत की परफारमेन्स गारन्टी की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म को जमा करने पर ही कार्यादेश / अनुबन्ध निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी। आपूर्ति / अधिष्ठापन कार्य का परीक्षण कराने के पश्चात ही भुगतान किया जा सकेगा।

20– उपरोक्त की आपूर्ति / अधिष्ठापन में किसी भी प्रकार का किराया भाड़ा इत्यादि विभाग द्वारा देय नही होगा।

21– कार्य के अनुरूप पंजीकृत निर्माता फर्म / निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र / नगर पालिका परिषद, उन्नाव में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार / आयकर विभाग में पंजीकृत, जी0एस0टी0, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एवं श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

22– यह कि निविदा धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुक्लागंज, उन्नाव में चालान द्वारा जमा होगी, चालान फार्म सम्बन्धित बैंक एवं नगर पालिका / जलकल कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

23– क्रमांक 13 हेतु कम से कम 02 सरकारी विभागों में आपूर्ति / अधिष्ठापन करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं विद्युत सुरक्षा लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य है।

24– उपरोक्त क्रमांक 01 से 13 की विस्तृत शर्तें <u>http://etender.up.nic.in</u> पर देखे जा सकते है।

25– निविदा के साथ संलग्न 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की मूल प्रति तथा निविदा क्रय की रसीद, समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आदि वांछित अभिलेख बंद लिफाफे में तकनीकी निविदा खुलने से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस में) कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में उक्त की निविदा मान्य नहीं होगी।

05/10/18

अवर अभियन्ता,
नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव।

अधिशासी अधिकारी / प्रशासक
नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव।

पत्रांक एवं दिनांक : उपरोक्तानुसार।

<u>प्रतिलिपि</u> :

1) जिलाधिकारी महोदया उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2) कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3) अपर जिलाधिकारी (वि / रा) महोदय, उन्नाव को सूचनार्थ प्रेषित।
4) कार्यालय प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5) कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव के नोटिस बार्ड व वेबसाइट पर चस्पा हेतु।
6) एन0आई0सी0, उन्नाव को वेबसाइट पर प्रचार हेतु चस्पा।(सी0डी0सहित)
7) सम्पादक, <u>हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला</u>, शुक्लागंज, उन्नाव को सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ।

05/10/18

अधिशासी अधिकारी / प्रशासक,
नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव।

Hindustan